उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5
संख्या: 24 /2019/704/आठ-5-19-01ई/16
लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राज्य सरकार ने उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त/विनियमित नये प्रवेशकों, जिनका वित्त पोषण विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा किया जाता है, पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है:-

(i) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त/विनियमित समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान उ0प्र0 विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर-। खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(iii) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अतः वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि, विकास प्राधिकरण टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने धन के "द्वितीय टियर" के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-। को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एक मुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2- नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

भवदीय,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in